संख्या डी-12015/34/2013-प्रशा-III

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

***

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांकः 24 अक्टूबर, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- मोदी नगर (उत्तर प्रदेश) में निवासरत शहरी विकास मंत्रालय के कर्मचारियों हेतु प्राधिकृत चिकित्सा परिचर (एएमए) के रूप में निजी चिकित्सक की नियुक्ति।

***

अधोहस्ताक्षरी को यह आदेश हुआ है कि वह डॉ. सुभाष चंद्र आर्य, एमबीबीएस, एमडी (पंजीयन संख्या 15918-यूपी) और डॉ. (श्रीमती) नीरा आर्य, एमबीबीएस, डीजीओ (पंजीयन संख्या 23424-यूपी) की दिनांक 21.09.2013 का उपरोक्त विषयांतर्गत इच्छा का संदर्भ ले और यह उल्लेख करे कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मोदी नगर (उत्तर प्रदेश) में निवासरत शहरी विकास मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए उन्हें एएमए नियम, 1944 के अनुसार इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए प्रभावशील मानते हुए, निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्राधिकृत चिकित्सा परिचर के रूप में घोषित करेः-

(i) प्राधिकृत चिकित्सा परिचर केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1944 के अंतर्गत निर्दिष्ट दरों पर परामर्श एवं टीका शुल्क लेंगे।

(ii) प्राधिकृत चिकित्सा परिचर केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1944 में उल्लिखित प्रावधानों तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा।

(iii) इस नियुक्ति को निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व बिना कोई कारण बताए अथवा बिना कोई सूचना दिए समाप्त किया जा सकता है।

(आई.एम.खान)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपिः-

1. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

scanIII

2. डॉ. सुभाष चंद्र आर्य, एमबीबीएस, एमडी और डॉ.(श्रीमती) नीरा आर्य, एमबीबीएस, डीजीओ, आर्यन हॉस्पिटल, लोवर बाजार, एनएच-58, मोदी नगर, जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)।
3. डीजीएचएस, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
4. प्रशासन I, II एवं IV अनुभाग।
5. श्री के. के. गौतम, निम्न श्रेणी लिपिक और मोदी नगर, जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में निवासरत शहरी विकास मंत्रालय के सभी कर्मचारी।
6. एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि मंत्रालय की वेबसाइट में 'क्विक एक्सेस' शीर्ष के अधीन 'एएमए' (प्राधिकृत चिकित्सा परिचर) के उप शीर्षक के साथ इसे सृजित करें और उसमें इस कार्यालय ज्ञापन की प्रति को अपलोड करें।
7. सूचना पटल।

(आई.एम.खान)
अवर सचिव, भारत सरकार

scanIII